फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री बंशीलाल गुर्जर पुत्र श्री लादुलाल गुर्जर नि. कुंदवा तहसील देवगढ जिला राजसमंद

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 74/2022**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 13.12.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ द्वारा जरिये पत्रांकः /सू.अ.अ. /2022/175–76 दिनांक 15.11.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ द्वारा अपीलार्थी को पत्रांकः सू.अ./2022/147 दिनांक 20.09.2022 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया था कि "कार्यालय में उपस्थित होकर रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सूचना प्राप्त करे" किंतु आवेदक आज दिनांक तक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 20.09.2022 से सूचित किया गया था कि "कार्यालय में उपस्थित होकर रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सूचना प्राप्त करे" किंतु आवेदक आज दिनांक तक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी । लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु सं. 01 एवं 02 की सूचना "सब रजिस्ट्रार (तहसीलदार) कार्यालय, देवगढ की वर्ष 2020–21 तक आंतरिक लेखा परीक्षण द्वारा की गई ऑडिट रिपोर्ट एवं अधिनस्थ कुल आवास भवन एवं वर्तमान आवास भवन, कर्मचारी सुपुर्दगी के पत्रादि" की सूचना अपीलार्थी को नियमानुसार तत्काल उपलब्ध करवाई जावे। उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	